"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ़ 15, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुरेश कुमार वर्मा आ. स्व. घासीराम वर्मा, आयु 50 वर्ष, स्थायी निवासी-ग्राम-अटारी, पो. व तह. पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन 491 111 हाल मुकाम-क्वार्टर नं. 3-डी., ए. पाकेट, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला, जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन 490 006 का हूं. यह कि मेरे 11वीं बोर्ड की अंकसूची में मेरा नाम सुरेश कुमार पिता घासीराम लिखा हुआ है तथा मेरे स्नातक की अंकसूची में मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा पिता श्री घासीराम वर्मा अंकित है एवं मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम एस. के वर्मा पिता घासीराम वर्मा व जी. आर. वर्मा दर्ज हो गया है को सुधार कर मैं अपना पूरा व सही नाम सुरेश कुमार वर्मा आ. घासीराम वर्मा दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे सुरेश कुमार वर्मा आ. स्व. घासीराम वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

सुरेश कुमार, एस. के. वर्मा
पिता-स्व. घासीराम
स्थायी निवासी-ग्राम-अटारी
पो. व तह.-पाटन, जिला- दुर्ग (छ. ग.)
हाल मुकाम-क्वार्टर नं. 3-डी, ए-पाकेट,
मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुरेश कुमार वर्मा
पिता-स्व. घासीराम वर्मा
स्थायी निवासी-ग्राम-अटारी
पो. व तह.-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)
हाल मुकाम-क्वार्टर नं. 3-डी, ए-पाकेट,
मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीष कुमार मेश्राम आ. श्री यू. आर. मेश्राम, निवासी-सड़क नं.-6, ब्लाक नं.-4 बी, सेक्टर -2, भिलाई, थाना-भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पुत्र "अरनव मेश्राम" का नाम परिवर्तित कर नया नाम "प्रणव मेश्राम" रख लिखा हूं तथा समस्त शैक्षणिक, शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को प्रणव मेश्राम पिता मनीष कुमार मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
अरनव मेश्राम पिता-श्री मनीष कुमार मेश्राम निवासी-सड़क नं.-6, ब्लाक नं. 4 बी, सेक्टर-2, भिलाई, थाना-भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	प्रणव मेश्राम पिता-श्री मनीष कुमार मेश्राम निवासी-सड़क नं.-6, ब्लाक नं. 4 बी, सेक्टर-2, भिलाई, थाना-भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रतन कुमार हलधर पिता श्री दीनबंधु हलधर, आयु 38 वर्ष, निवासी-इंदिरा नगर, बालाजी ठेकेदार के पास चरौदा, तह. पाटन, थाना-भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूं तथा मेरा पर्सनल नंबर-401867 है, मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं बी. एस. पी. के अभिलेखों में मेरा नाम "रतन कुमार" अंकित हो गया को सुधार कर रतन कुमार हलधर दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे रतन कुमार हलधर पिता श्री दीनबंधु हलधर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
रतन कुमार पिता-श्री दीनबंधु हलधर निवासी-इंदिरा नगर, बालाजी ठेकेदार के पास चरौदा, तह. पाटन, थाना-भिलाई-3 जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रतन कुमार हलधर पिता-श्री दीनबंधु हलधर निवासी-इंदिरा नगर, बालाजी ठेकेदार के पास चरौदा, तह. पाटन, थाना-भिलाई-3 जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ताम्रध्वज सिन्हा पिता-स्व. घसिया सिन्हा, उम्र 38 वर्ष, निवासी-सेक्टर-6, क्वार्टर नं.-7/क्यू, सड़क नं.-एवेन्यू बी, भिलाई नगर, थाना-सेक्टर -6, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हूं व मेरा पर्सनल नंबर-401986 है, मेरे शालेय प्रमाण-पत्रों एवं आई. टी. आई. के सर्टिफिकेट व बी. एस. पी. के रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश "ताम्रध्वज" अंकित हो गया है को सुधार कर सही व पूरा नाम "ताम्रध्वज सिन्हा" दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे ताम्रध्वज सिन्हा पिता स्व. घसिया सिन्हा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
ताम्रध्वज पिता-स्व. घसिया सिन्हा निवासी-सेक्टर-6, क्वा. नं. -7/क्यू सड़क नं.-एवेन्यू बी, भिलाई नगर थाना-सेक्टर 6, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ताम्रध्वज सिन्हा पिता-स्व. घसिया सिन्हा निवासी-सेक्टर-6, क्वा. नं. -7/क्यू सड़क नं.-एवेन्यू बी, भिलाई नगर थाना-सेक्टर 6, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-बस्तर, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 29 मई 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उ. प. ज./परिसमापन/2011/505.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./940 दिनांक 03-12-2010 के द्वारा ग्रामीण बेरोजगार सहकारी समिति मर्या., परचनपाल, विकासखण्ड बस्तर, जिला बस्तर जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 494 दिनांक 12-8-2004 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एम. एल. नन्दनवार, स. वि. अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 (सी) दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 29 मई 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उ. प. ज./परिसमापन/2012/506.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./940 दिनांक 03-12-2010 के द्वारा प्राथमिक किसान मजदूर संघर्ष श्रमिक गिट्टी खदान स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., छिन्दगांव, विकासखण्ड बकावंड, जिला बस्तर जिसका पंजीयन क्रमांक /398 दिनांक 13-01-1997, है को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री सी. एस. नेताम, स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 (सी) दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 29-5-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 13 जून 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उ. प. ज./परिसमापन/2012/547.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./940 दिनांक 03-12-2010 के द्वारा प्राथमिक खनिज सहकारी समिति मर्या., कोण्डागांव, विकासखण्ड कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव जिसका पंजीयन क्रमांक /428 दिनांक 30-10-1997 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. नामदेव, स. वि. अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 (सी) दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 12-06-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जगदलपुर, दिनांक 13 जून 2012

[छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उ. प. ज./परिसमापन/2012/549.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./940 दिनांक 03-12-2010 के द्वारा चूना पत्थर श्रमिक सहकारी समिति मर्या., रायकोट, विकासखण्ड तोकापाल, जिला बस्तर, जगदलपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/411 दिनांक 30-07-1997 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. एल. कुजूर, स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 (सी) दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 12-06-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 8 जून 2012

क्रमांक/परिस./2012/486.— श्री लक्ष्मी कोसा बुनकर सह. समिति मर्या., उमरेली, पंजीयन क्रमांक 3129 दिनांक 11-1-84 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा, श्री लक्ष्मी कोसा बुनकर सह. समिति मर्या., उमरेली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. जे. पाटले, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
प्र. उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक/परिसमापन/2012/1064.— नवोदय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, तारबाहर, बिलासपुर, पं. क्र. 3369 दिनांक 28-01-1991 का परिसमापक श्रीमती शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक द्वारा पुनर्जीवित किये जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया गया है. जिसमें समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक दिनांक 18-05-2012 को आयोजित गई है, जिसमें संस्था को पुनर्जीवित किया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करेगी तत्संबंध में तत्कालिक अध्यक्ष द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है. अत: सदस्यों के हित में श्रीमती शोभा बंदे सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह (सी) दिनांक 26-07-1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् नवोदय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, तारबार्हा, बिलासपुर, प. क्र. 3369 दिनांक 28-01-1991 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी छ: माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012.